चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

निविदा सूचना

पत्रांक :वित्त/207 दिनांक : 30/07/2026

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के छात्रावासों में सत्र 2026–27 के लिये भोजन आपूर्ति हेतु जैम पोर्टल पर निम्नलिखित निविदायें आमंत्रित की गयी हैं।

क्र0स0	छात्रावासों के नाम	जैम बिड संख्या	निविदा की अन्तिम तिथि
1	आर्य भटट पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7849500 Dt. 29.07.2026	19.08.2026
2	डा0 ऐ0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7850937 Dt. 29.07.2026	19.08.2026
3	डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7851408 Dt. 29.07.2026	19.08.2026
4	डा0 कैलाश प्रकाश पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7851703 Dt. 29.07.2026	19.08.2026
5	डा आर0 के0 सिंह पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7851838 Dt. 29.07.2026	19.08.2026
6	दुर्गा भाभी महिला छात्रावास	GEM/2026/B/7852901 Dt. 30.07.2026	20.08.2026
7	प0 दीन दयाल उपाध्याय पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7853392 Dt. 30.07.2026	20.08.2026
8	रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास	GEM/2026/B/7853646 Dt. 30.07.2026	20.08.2026
9	वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पुरूष छात्रावास	GEM/2026/B/7854038 Dt. 30.07.2026	20.08.2026

वित्त अधिकारी

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

विश्वविद्यालय के महिला एवं पुरूष छात्रावास के मैसों में भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित जैम बिड प्रपत्र, शैक्षणिक सत्रः 2026–27

1. महिला छात्रावास में अनुमानित संख्या :–

क्र0स0	छात्रावास का नाम	अनुमानित संख्या
1	दुर्गा भाभी छात्रावास	350
2	रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास	300

2. पुरूष छात्रावास में अनुमानित संख्याः–

क्र0स0	छात्रावास का नाम	अनुमानित संख्या
1	डा0 कैलाश प्रकाश छात्रावास	228
2	डा0 आर0 के0 सिंह छात्रावास	156
3	वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप छात्रावास	204
4	पं0 दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास	204
5	डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम छात्रावास	200
6	आर्य भट्ट छात्रावास	120

- प्रत्येक छात्रावास के लिए अलग–अलग बिड डाली जायेगी। एक वेन्डर को एक ही हॉस्टल का कार्य दिया जायेगा, क्योकिं एक वेन्डर को एक से अधिक छात्रावास का कार्य मिलने पर वेन्डर की नाकामी की स्थिति में पूरे विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैल सकती है।
- विश्वविद्यालय की समिति द्वारा पुरुष एवं महिला छात्रावासों में निर्धारित की गयी सामान्य आधार दरें निम्नानुसार हैं (इससे कम दरों पर कोई निविदा स्वीकार नहीं होगी):–

  (i)पुरूष छात्रावास/महिला छात्रावास रूपयें 95.30/–(1. नाश्ते के लिए रू.21.30/– 2. लन्च के लिए रू.32.00/– 3. शाम की चाय के लिए रू.10.00/– 4. डिनर के लिए रू.32.00/–) जी0एस0टी0 सहित प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी ।
- निविदा को अन्तिम रूप देने में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रपत्र संलग्नक सूची

1.	ई0एम0डी0 धनराशि रू.2,00,000/– UTR No……………………………dated………………… अथवा वित्त अधिकारी, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में एफ0डी0आर0	
2.	फर्म का पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति	
3.	फर्म की जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति	
4.	फर्म द्वारा रू.100/– के स्टॉम्प पर कहीं भी ब्लैक लिस्ट न किये जाने का शपथ–पत्र	
5.	केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, सरकारी/ अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान में हास्टल मैस भोजनापूर्ति का न्यूनतम तीन वर्ष (36 माह) का अनुभव (अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, ई–मेल, फोन नं0, जी0एस0टी0 संख्या) एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों के साथ सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।	
6.	पूर्व में किये गये कार्य के साक्ष्य हेतु सभी कार्यादेशों की प्रति तथा भुगतान के साक्ष्य हेतु सभी वर्षों का बिल भुगतान का बैंक स्टेटमैन्ट	
7.	विगत तीन वर्षों का औसत टर्नओवर 25 लाख (साक्ष्य के लिए सी0ए0 द्वारा जारी टर्नओवर प्रमाण–पत्र एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट यू0डी0आई0एन0 नम्बर सहित)	

नोटः–

1. निविदादाता द्वारा समस्त प्रपत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए।
2. समस्त प्रपत्र उपरोक्तानुसार क्रमांक अंकित कर संलग्न होना चाहिए।

मुझे निविदा की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर……………………………
निविदादाता का पूरा नाम……………………………
पता……………………………
मोबाइल नम्बर……………………………
ई–मेल आई0डी0……………………………
फर्म की मुहर सहित……………………………

भोजन आपूर्तिकर्ता द्वारा छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराये जाने वाले वाले भोजन एवं नाश्ते का मेन्यू : –

1.	नाश्ता	4 ब्रेड स्लाइस + 25 ग्राम मक्खन + चाय अथवा सादा पराठा (4) + सब्जी + अचार + चाय अथवा स्टफ भरवां पराठा (4) + अचार + चाय अथवा सब्जी + पूरी (6) + चाय अथवा वेजिटेवल सैंडविच + चाय अथवा पोहा + हलुआ + चाय/इडली + सांभर + चाय पूरे सप्ताह के प्रत्येक दिवस में उपरोक्त में से एक का चयन चक्रानुसार होगा सप्ताह में एक दिन स्पेशल नाश्ता (सब्जी, पूरी, हलवा व चाय)
2.	दोपहर का भोजन(लन्च)	चावल+दाल+रोटी+मौसमी सब्जी+सलाद+ अचार सप्ताह में एक दिन स्पेशल लंच (मटर पनीर/छोले चावल, पूरी–खीर/छोले–भटूरे/आलू–मटर पूरी + खीर)
3.	शाम की चाय	चाय+बिस्कुट/रस्क
4.	शाम का भोजन(डिनर)	चावल+दाल+रोटी+मौसमी सब्जी+सलाद+ अचार सप्ताह में एक दिन स्पेशल डिनर (आलू–मटर, पूरी, खीर /छोले चावल, पूरी–खीर)

नोट : –

- भोजन आपूर्तिकर्ता को दिए गए भोजन एवं नाश्ते के मेन्यू के अनुसार ही चावल, दालों, मसाले एवं आटा आदि के नमूने वार्डन/चीफ वार्डन के पास जमा कराने होगें और पास किए गए नमूने के अनुसार ही भोजन आपूर्ति करनी होगी।
- ब्रेड, पूरी, रोटी, पकौड़ा एवं परांठा आदि नाश्ते के समय मात्र औसत संख्या इंगित करता है। उक्त स्तर पर खाद्य पदार्थो में छात्र/छात्राओं की जरूरत के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।
- मेन्यू में सप्ताह में एक दिन स्पेशल नाश्ता (सब्जी, पूरी, हलवा व चाय), सप्ताह में एक दिन स्पेशल लंच प्रति सप्ताह क्रमानुसार (मटर पनीर/छोले चावल, पूरी–खीर/छोले–भटूरे/आलू–मटर पूरी+खीर) तथा सप्ताह में एक दिन स्पेशल डिनर प्रति सप्ताह क्रमानुसार (आलू–मटर, पूरी, खीर/छोले चावल, पूरी–खीर) सम्मिलित किया जायेगा।
- उक्त मेन्यू का मानक अच्छी गुणवत्ता का होगा तथा मसाले ब्रांडेड ही होगें, भोजन पकाने में केवल ब्राण्डेड सरसों का तेल का ही प्रयोग अनिवार्य है। जिसकी सक्षम एजेन्सी/किसी सरकारी संस्था जैसे खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर भोजन की जॉच करायी जा सकती है तथा मेन्यू में कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा सकता है।

- उपरोक्तानुसार समस्त खाद्य पदार्थ भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण **(FSSAI)** के मानकों के अनुरूप होने अनिवार्य होंगे।
- मैस व किचन की साफ–सफाई, हाईजिन, भोजन हेतु उचित वातावरण प्रत्येक छात्र की प्रत्येक भोजन उपस्थित का रिकार्ड रखने का पूर्ण दायित्व मैस ठेकेदार का ही होगा। जिसकी विश्वविद्यालय स्तर पर समय–समय पर जॉच भी करायी जाएगी तथा व्यवस्था उचित न होने की स्थिति में आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।
- भोजन पकाने हेतु केवल पाइप लाईन वाली गैस का ही उपयोग किया जाए। विशेष परिस्थिति में वार्डन की अनुमति से ही व्यवसायिक कुकिंग गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा सकता है।
- भोजनापूर्तिकर्ता को कुकिंग, सर्विस, खाने पीने एवं खाना तैयार करने के बर्तनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। डिस्पोजेवल ग्लास, थाली आदि बर्तन मैस में प्रयोग करना वर्जित होगा।
- उपरोक्त दरें पुरूष एवं महिला छात्रावास के लिए सुबह का नाश्ता, लन्च शाम की चाय एवं डिनर के लिए मान्य होंगी।
- खाना बनाने एवं परोसने में ऐसे बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो (जैसे एल्यूमिनियम कढ़ाई आदि)।

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित निविदा शर्तेः–

1. नौ छात्रावासों के लिए अलग–अलग नौ निविदाऐं जैम पोर्टल पर की जायेंगी तथा अग्रेंजी शब्दकोष के अनुसार छात्रावासों के नाम से क्रमानुसार निविदाऐं खोली जायेगी। क्रम निम्नलिखित प्रकार होगाः–
   1. आर्य भट्ट पुरूष छात्रावास
   2. डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम छात्रावास
   3. डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर छात्रावास
   4. डा0 कैलाश प्रकाश छात्रावास
   5. डा0 आर0 के0 सिंह छात्रावास
   6. दुर्गा भाभी छात्रावास
   7. पंडित दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
   8. रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास
   9. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप छात्रावास

   जिस फर्म को एक छात्रावास की मैस आवटिंत हो जायेगी, उसे अन्य छात्रावासों की मैस की निविदा के लिये अनर्ह कर दिया जायेगा तथा अन्य छात्रावासों की निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यही प्रक्रिया क्रम संख्या 1 से 9 तक के छात्रावासों के लिए अपनायी जायेगी।

2. ई0एम0डी0 की धनराशि रू.2,00,000/– (रूपये दो लाख) ऑनलाइन RTGS/Internet banking के माध्यम से अथवा वित्त अधिकारी, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में एफ0डी0आर0 जमा करना अनिवार्य है। ई0एम0डी0 की धनराशि जमा न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. जी0 एस0 टी0 पंजीकरण एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. भोजनापूर्तिकर्ता फर्म को केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, सरकारी/ अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान में हास्टल मैस भोजन आपूर्ति का न्यून्तम तीन वर्षो (36 माह) का अनुभव अनिवार्य है, अनुभव प्रमाण–पत्र पर जारी करने वाले संस्थान का नाम, ई–मेल, फोन न0, जी0एस0टी0 संख्या अंकित होना अनिवार्य है। पूर्व में किये गये कार्य के साक्ष्य हेतु सभी कार्यादेशों की प्रति तथा भुगतान के साक्ष्य हेतु सभी

वर्षों का सम्बन्धित बिल भुगतान का बैंक का स्टेटमेन्ट संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही तीन वर्षों के अनुभव प्रमाण–पत्रों के साथ सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदादाता फर्म का विगत तीन वर्ष का औसत टर्नओवर 25 लाख होना अनिवार्य है। साक्ष्य के लिए सी0ए0 द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण–पत्र एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट संलग्न करना अनिवार्य है। सी0 ए0 द्वारा जारी टर्नओवर प्रमाण–पत्र तथा सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट पर UDIN नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।
6. फर्म को रू.100/– के स्टॉम्प पेपर पर कहीं भी ब्लैक लिस्ट न किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. भोजनापूर्ति की दरें नियत मेन्यू के अनुरूप प्रतिदिन के हिसाब से प्रस्तुत की जानी है। दर जी0एस0टी0 सहित होनी चाहिये।
8. किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय की समिति द्वारा पुरूष एवं महिला छात्रावासों में निर्धारित की गयी सामान्य आधार दरों से कम दर पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदाओं को खोलने पर एक से अधिक निविदाओं की न्यूनतम दर समान होने पर एल–1 फर्म का निर्णय जैम के नियमों के अनुसार Run L-1 के माध्यम से किया जायेगा।
10. यदि फर्म/ठेकेदार सत्र के बीच में कार्य को छोड़कर जाता है/हटाया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी धनराशि जब्त करते हुऐ अनुबन्ध निरस्त कर अन्य वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
11. किसी भी निविदादाता फर्म/ठेकेदार को एक से अधिक मैस नहीं दिया जायेगा।
12. वित्तीय बिड मे निविदादाता फर्म/ठेकेदार को एल–1 आने पर उक्त मैस स्वीकार करनी होगी। अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए बिड को निरस्त कर दिया जाएगा और निविदादाता के विरूद अन्य वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
13. **सभी निविदादाता फर्म/ठेकेदार द्वारा संलग्न किये गये सभी प्रपत्रों का सत्यापन कराया जायेगा। तथा सत्यापन के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की असत्यता/कूटरचना आदि पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म को जारी कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।**
14. मैस का संचालन केवल सम्बन्धित फर्म द्वारा ही संचालित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की Sub-letting की अनुमति नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म का कार्यादेश निरस्त कर अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
15. विभिन्न छात्रावासों की वित्तीय बिड में निविदिदाता फर्म/ठेकेदारों की अलग–अलग न्यून्तम दर प्राप्त होने पर सर्वाधिक न्यूनतम दर (सामान्य आधार दर से कम नहीं) ही मान्य होगी तथा उसी दर पर सभी छात्रावासों में अन्य फर्म/ठेकेदार को भी कार्य करना होगा।
16. सशर्त जमा किए गए टेण्डर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनका कोई भी सगा–सम्बन्धी निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकता। किसी छात्र को भी निविदा में प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा।
18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अपूर्ण दस्तावेज/ज़ानकारी के मामले में, बिना कोई कारण बताए निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
19. फर्म/ठेकेदार ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
20. किसी भी दुर्घटना में मैस कर्मचारी को चोट लगने/मृत्यु होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. फर्म/ठेकेदार को अपने सभी कर्मचारियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट वार्डन को भी जमा करनी होगी, जिन्हे वह मैस सेवाएं प्रदान करने के कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित करना चाहता है।

22. अनुबन्ध की समाप्ति पर फर्म विश्वविद्यालय के परिसर को तुरन्त खाली कर देगा और उपकरण आदि का प्रभार वार्डन को शान्तिपूर्वक सौंप देगा।
23. छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु भोजन **पकाने, परोसने** (Cooking & Serving) का स्थान तथा वर्तमान में उपलब्ध फर्नीचर तथा पानी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य बर्तन आदि समस्त व्यवस्था भोजनापूर्तिकर्ता की होगी।
24. मैस ठेकेदार अपने स्टॉफ हेतु आवश्यक फर्नीचर की स्वयं व्यवस्था करेगा।
25. मैस का प्रबंधन भोजनापूर्तिकर्ता का स्वयं का होगा।
26. भोजनापूर्तिकर्ता के द्वारा जो स्टाफ/कुक आदि मैस के संचालन के लिए नियुक्त किये जायेंगे उनके नाम एव पते की सूची, कार्यादेश की प्राप्ति के उपरान्त एवं मैस में कार्य करने से पूर्व छात्रावास अधीक्षक के कार्यालय में जमा कराने अनिवार्य होंगे तथा समस्त स्टाफ एवं कुक यूनीफॉर्म में होंगे।
27. मैस संचालन में कार्यरत व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा/वर्जित वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे।
28. मैस में बर्तनों की संख्या (खाने हेतु थाली, कटोरी, चम्मच इत्यादि) छात्रावास में छात्रों की संख्या से 50 अतिरिक्त की व्यवस्था करनी होगी, जिससे बर्तन गन्दे होने की दशा में छात्रों को इन्तजार न करना पड़े। डिस्पोजेवल बर्तनों, ग्लास आदि का प्रयोग वर्जित है।
29. मैस की पाकशाला में खाना पकाने के लिए लकडी तथा हीटर का प्रयोग वर्जित है। यदि भोजनापूर्तिकर्ता के द्वारा खाना पकाने के लिए लकडी अथवा हीटर का प्रयोग किया जायेगा तो कार्यादेश निरस्त कर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। सभी छात्रावासों की पाकशाला में गेल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसका भुगतान नियमानुसार भोजन आपूर्तिकर्ता को गेल गैस के मीटर के हिसाब से करना होगा। घरेलू गैस सिलैण्डर का प्रयोग वर्जित होगा।
30. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्रावास में भोजन आपूर्तिकर्ता को 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। यदि इससे अधिक बिजली का उपभोग किया जाता है तो इसका अतिरिक्त चार्ज प्रचलित यूनिट दर पर भोजन आपूर्तिकर्ता प्रतिमाह विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा।
31. सत्र आरम्भ/सत्रान्त पर यदि छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या कम भी है तो भी भोजनापूर्तिकर्ता को उपलब्ध विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
32. छात्रावासों में भोजनापूर्ति हेतु शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी है। अतः निविदा के आधार पर निर्धारित की गयी दरों पर कार्यादेश सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु मान्य होगा। खाद्य पदार्थो आदि के मूल्य में हुई वृद्वि के फलस्वरूप दरों में वृद्वि किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। सम्बन्धित भोजन आपूर्तिकर्ता का कार्य यदि शैक्षणिक सत्र 2026–27 में
सन्तोषजनक पाया जाता है तो विशेष परिस्थितियों में उस भोजन आपूर्तिकर्ता को निर्गत कार्यादेश को अधीक्षक एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
33. भोजन आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पृथक से एक अनुबन्ध कराना होगा जिसमें भोजन आपूर्ति की शर्तें उल्लिखित होंगी। सुचारू संचालन की दृष्टि से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों से पृथक शर्तें अनुबन्ध में रखी जा सकती हैं। अनुबन्ध की शर्तों के पालन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित भोजनापूर्तिकर्ता का होगा।
34. भोजनापूर्तिकर्ताओं के द्वारा जो कर्मचारी विश्वविद्यालय के छात्रावासों के मैस में लगाये जायेंगे, उनकी छात्रावास की प्रविष्टि हेतु कार्य शुरू करने से पूर्व चीफ वार्डन/वार्डन स्तर पर पहचान पत्र जारी किए जायेंगे। इनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति छात्रावास मैस में प्रवेश हेतु अनुमन्य नहीं होगा।
35. भोजन आपूर्तिकर्ता की निविदा की तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि जमा करने का साक्ष्य UTR No. अपलोड की जायेगी। जिन निविदादाताओं की निविदा पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, उनकी सिक्योरिटी की धनराशि एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। यदि भोजन आपूर्तिकर्ता

निर्धारित शर्तो व आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसकी भोजन आपूर्ति निरस्त कर दी जायेगी एवं सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि सम्पूर्ण वर्ष में भोजन आपूर्ति का कार्य सन्तोषजनक रहता है तो वर्ष के अन्त में भोजन आपूर्तिकर्ता के अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त सिक्योरिटी की धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

36. जो भोजन आपूर्तिकर्ता पूर्व में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजनापूर्ति का कार्य कर चुके हैं, उन्हें सम्बन्धित छात्रावास के वार्डन/मुख्य वार्डन/विश्वविद्यालय अभियन्ता से बिजली एवं गैस की अदेयता एवं संन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, निविदा की तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उनकी वित्तीय बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
37. भोजन आपूर्ति हेतु प्रदत्त स्थान पर किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में यदि कोई क्षति होती है तो इसका वैधानिक उत्तरदायित्व भोजन आपूर्तिकर्ता का होगा।
38. छात्रावासों में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री (भोजन, नाश्ता, इत्यादि) का मेन्यू इस निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है जोकि अच्छी गुणवत्ता का होगा। मेन्यू में परिवर्तन विश्वविद्यालय के मुख्याधीक्षक छात्रावास की अनुमति से सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है। भोजन का समय–समय पर परीक्षण भी विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अथवा प्राधिकृत चिकित्सक एवं न्यूट्रिशियन द्वारा कराया जाएगा। गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती है तो विश्वविद्यालय कोई भी पैनल दण्ड भोजन आपूर्तिकर्ता पर लगा सकता है।
39. छात्रावास में भोजन आपूर्तिकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित स्थान एवं आवश्यकतानुसार फर्नीचर जितना सम्बन्धित छात्रावास के मैस में उपलब्ध होगा का ही भोजनापूर्तिकर्ता उपयोग कर सकेगा। यदि ठेकेदार कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित करता पाया जाता है तो भोजन आपूर्ति निरस्त कर दी जायेगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड वसूला जा सकेगा।
40. प्रत्येक छात्रावास के वार्डन प्रशासनिक दृष्टि से छात्रावास मैस में भोजनापूर्ति हेतु आचार संहिता बनाएगें। इसमें निर्धारित की गयी शर्तो का पालन भोजनापूर्ति द्वारा किया जाएगा।
41. आपूर्तिकर्ता को मैस में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के सरकारी पहचान पत्र की फोटोकापी/आधार कार्ड/वोटर कार्ड आई डी आदि मैस आरभ से पूर्व छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
42. मैस में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी की इस आशय की जिला अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट कि उसे कोई बीमारी, एलर्जी या अन्य कोई त्वचा सम्बन्धी समस्या नहीं है, मैस आरम्भ होने के बाद प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
43. मैस में मैस प्रबंधक एवं रसोइये के साथ–साथ अन्य स्टाफ की व्यवस्था निम्नानुसार मैस ठेकेदार को करनी होगी :–
    - प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक कर्मचारी भोजन आपूर्ति सहायक के रूप में तथा न्यूनतम दो।
    - प्रत्येक मैस में एक कर्मचारी सफाई व्यवस्था हेतु।
    - एक प्रबंधक एवं एक रसोइया तथा एक बर्तन धोने के लिए कर्मचारी।
    - कोई भी मैस कर्मचारी 18 वर्ष से कम आयु का न हों।
    - महिला छात्रावास मैस हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला कर्मचारी अवश्य लगाए जाएगें।

44. सभी प्रकार के उत्तर प्रदेश/केन्द्र सरकार या स्थानीय करों की देयता का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।
45. मैस छात्रों से प्राप्त धनराशि से ही चलायी जानी है। अतः भोजन प्रदान करने से पूर्व मैस ठेकेदार व वार्डन यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र/छात्रा द्वारा भोजन की फीस अग्रिम के रूप में जमा कर दी गयी है। भोजनापूर्ति के सापेक्ष जो बिल भोजन आपूर्तिकर्ता द्वारा वित्त विभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, उस पर सम्बन्धित छात्रावास के वार्डन से इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित

कराया जायेगा कि संलग्न सूची में दर्शाया गये समस्त छात्रों से मैस शुल्क की वसूली की जा चुकी है एवं किसी भी छात्र को बिना शुल्क जमा किये भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही साथ यह प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित वार्डन द्वारा लगाया जाना अनिवार्य है कि सम्बन्धित देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया है। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में देयक का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

46. सभी छात्र/छात्राएं केवल मैस में निर्धारित स्थान पर ही भोजन करेगें। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा वार्डन की विशेष अनुमति के बिना मैस के बाहर/अपने कमरे में भोजन ले जाया पाता है तो इसका उत्तरदायित्व मैस ठेकेदार का होगा। अतः मैस ठेकेदार मैस संचालन के उचित प्रबन्धक की व्यवस्था करेगा। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय अर्थदण्ड/ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।
47. आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से समय–समय पर प्रचलित दरों के अनुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
48. विश्वविद्यालय को किसी भी खाद्य सामग्री को मैस में प्रतिबधिंत करने का अधिकार होगा।
49. भोजनापूर्ति कार्य हेतु आवश्यक बर्तन (डिस्पोजेवल बर्तन निषिद्व) बारदाना इत्यादि का प्रबन्ध सम्बन्धित ठेकेदार को करना होगा।
50. भोजन आपूर्तिकर्ता किसी भी कारण नगद धनराशि प्राप्त कर, किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं देगा। ऐसा करने पर आर्थिक दण्ड के अलावा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
51. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी में निहित होगा।
52. शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत सुरक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
53. बीमारियों से बचाव के दृष्टिकोण से मैस ठेकेदार को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा अपने कर्मचारियों को ग्लब्स, मास्क, हेयर कैप सेनेटाईजर आदि उपलब्ध कराना होगा।
54. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष होगी। कार्य सन्तोषजनक होने वार्डन एवं चीफ वार्डन की अनुशंसा पर दोनों पक्षों की सहमति से अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।
55. विश्वविद्यालय एवं भोजन आपूर्तिकर्ता के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा एवं आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा।
56. ई0एम0डी0 की धराशि ऑनलाइन RTGS/Internet banking के माध्यम से जमा करने हेतु विवरणः–

Beneficiary name: FINANCE OFFICER
Bank name: INDIAN BANK
Account No.: 50488321629
IFSC Code: IDIB000M690
Branch address: CHAUDHARY CHARAN CHARAN SINGH UNIVERSITY BRANCH, MEERUT

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

विश्वविद्यालय के पुरूष छात्रावास के मैस में भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित जैम बिड प्रपत्र, शैक्षणिक सत्रः 2026–27

1. पुरूष छात्रावास में अनुमानित संख्याः–

क्र0स0	छात्रावास का नाम	अनुमानित संख्या
1	डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर छात्रावास	50

- प्रत्येक छात्रावास के लिए अलग–अलग बिड डाली जायेगी। एक वेन्डर को एक ही हॉस्टल का कार्य दिया जायेगा, क्योकिं एक वेन्डर को एक से अधिक छात्रावास का कार्य मिलने पर वेन्डर की नाकामी की स्थिति में पूरे विश्वविद्यालय में अव्यवस्था फैल सकती है।
- विश्वविद्यालय की समिति द्वारा पुरूष एवं महिला छात्रावासों में निर्धारित की गयी सामान्य आधार दरें निम्नानुसार हैं (इससे कम दरों पर कोई निविदा स्वीकार नहीं होगी):–

  (i)पुरूष छात्रावास/महिला छात्रावास रूपयें 95.30/–(1. नाश्ते के लिए रू.21.30/– 2. लन्च के लिए रू.32.00/– 3. शाम की चाय के लिए रू.10.00/– 4. डिनर के लिए रू.32.00/–) जी0एस0टी0 सहित प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी ।

- निविदा को अन्तिम रूप देने में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रपत्र संलग्नक सूची

1.	ई0एम0डी0 धनराशि रू.85,000/– UTR No.................................dated...................... अथवा वित्त अधिकारी, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में एफ0डी0आर0	
2.	फर्म का पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति	
3.	फर्म की जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति	
4.	फर्म द्वारा रू.100/– के स्टॉम्प पर कहीं भी ब्लैक लिस्ट न किये जाने का शपथ–पत्र	
5.	केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, सरकारी/ अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान में हास्टल मैस भोजनापूर्ति का न्यूनतम तीन वर्ष (36 माह) का अनुभव (अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, ई–मेल, फोन नं0, जी0एस0टी0 संख्या) एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों के साथ सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।	
6.	पूर्व में किये गये कार्य के साक्ष्य हेतु सभी कार्यादेशों की प्रति तथा भुगतान के साक्ष्य हेतु सभी वर्षों का बिल भुगतान का बैंक स्टेटमैन्ट	
7.	विगत तीन वर्षों का औसत टर्नओवर 25 लाख (साक्ष्य के लिए सी0ए0 द्वारा जारी टर्नओवर प्रमाण–पत्र एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट यू0डी0आई0एन0 नम्बर सहित)	

नोटः–

1. निविदादाता द्वारा समस्त प्रपत्र स्वप्रमाणित होना चाहिए।
2. समस्त प्रपत्र उपरोक्तानुसार क्रमांक अंकित कर संलग्न होना चाहिए।

मुझे निविदा की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर..
निविदादाता का पूरा नाम..
पता...
मोबाइल नम्बर...
ई–मेल आई0डी0...
फर्म की मुहर सहित..

भोजन आपूर्तिकर्ता द्वारा छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराये जाने वाले वाले भोजन एवं नाश्ते का मेन्यू : –

1.	नाश्ता	4 ब्रेड स्लाइस + 25 ग्राम मक्खन + चाय अथवा सादा पराठा (4) + सब्जी + अचार + चाय अथवा स्टफ भरवां पराठा (4) + अचार + चाय अथवा सब्जी + पूरी (6) + चाय अथवा वेजिटेवल सैंडविच + चाय अथवा पोहा + हलुआ + चाय/इडली + सांभर + चाय पूरे सप्ताह के प्रत्येक दिवस में उपरोक्त में से एक का चयन चक्रानुसार होगा सप्ताह में एक दिन स्पेशल नाश्ता (सब्जी, पूरी, हलवा व चाय)
2.	दोपहर का भोजन(लन्च)	चावल+दाल+रोटी+मौसमी सब्जी+सलाद+ अचार सप्ताह में एक दिन स्पेशल लंच (मटर पनीर/छोले चावल, पूरी–खीर/छोले–भटूरे/आलू–मटर पूरी + खीर)
3.	शाम की चाय	चाय+बिस्कुट/रस्क
4.	शाम का भोजन(डिनर)	चावल+दाल+रोटी+मौसमी सब्जी+सलाद+ अचार सप्ताह में एक दिन स्पेशल डिनर (आलू–मटर, पूरी, खीर /छोले चावल, पूरी–खीर)

नोट : –

- भोजन आपूर्तिकर्ता को दिए गए भोजन एवं नाश्ते के मेन्यू के अनुसार ही चावल, दालों, मसाले एवं आटा आदि के नमूने वार्डन/चीफ वार्डन के पास जमा कराने होगें और पास किए गए नमूने के अनुसार ही भोजन आपूर्ति करनी होगी।
- ब्रेड, पूरी, रोटी, पकौड़ा एवं परांठा आदि नाश्ते के समय मात्र औसत संख्या इंगित करता है। उक्त स्तर पर खाद्य पदार्थो में छात्र/छात्राओं की जरूरत के अनुसार आपूर्ति की जायेगी।
- मेन्यू में सप्ताह में एक दिन स्पेशल नाश्ता (सब्जी, पूरी, हलवा व चाय), सप्ताह में एक दिन स्पेशल लंच प्रति सप्ताह क्रमानुसार (मटर पनीर/छोले चावल, पूरी–खीर/छोले–भटूरे/आलू–मटर पूरी+खीर) तथा सप्ताह में एक दिन स्पेशल डिनर प्रति सप्ताह क्रमानुसार (आलू–मटर, पूरी, खीर/छोले चावल, पूरी–खीर) सम्मिलित किया जायेगा।
- उक्त मेन्यू का मानक अच्छी गुणवत्ता का होगा तथा मसाले ब्रांडेड ही होगें, भोजन पकाने में केवल ब्राण्डेड सरसों का तेल का ही प्रयोग अनिवार्य है। जिसकी सक्षम एजेन्सी/किसी सरकारी संस्था जैसे खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर भोजन की जॉच करायी जा सकती है तथा मेन्यू में कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा सकता है।

- उपरोक्तानुसार समस्त खाद्य पदार्थ भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण **(FSSAI)** के मानकों के अनुरूप होने अनिवार्य होंगे।
- मैस व किचन की साफ–सफाई, हाईजिन, भोजन हेतु उचित वातावरण प्रत्येक छात्र की प्रत्येक भोजन उपस्थित का रिकार्ड रखने का पूर्ण दायित्व मैस ठेकेदार का ही होगा। जिसकी विश्वविद्यालय स्तर पर समय–समय पर जॉच भी करायी जाएगी तथा व्यवस्था उचित न होने की स्थिति में आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकता है।
- भोजन पकाने हेतु केवल पाइप लाईन वाली गैस का ही उपयोग किया जाए। विशेष परिस्थिति में वार्डन की अनुमति से ही व्यवसायिक कुकिंग गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा सकता है।
- भोजनापूर्तिकर्ता को कुकिंग, सर्विस, खाने पीने एवं खाना तैयार करने के बर्तनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। डिस्पोजेवल ग्लास, थाली आदि बर्तन मैस में प्रयोग करना वर्जित होगा।
- उपरोक्त दरें पुरूष एवं महिला छात्रावास के लिए सुबह का नाश्ता, लन्च शाम की चाय एवं डिनर के लिए मान्य होंगी।
- खाना बनाने एवं परोसने में ऐसे बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो (जैसे एल्यूमिनियम कढ़ाई आदि)।

विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु निर्धारित निविदा शर्तेः–

1. नौ छात्रावासों के लिए अलग–अलग नौ निविदाऐं जैम पोर्टल पर की जायेंगी तथा अग्रेंजी शब्दकोष के अनुसार छात्रावासों के नाम से क्रमानुसार निविदाऐं खोली जायेगी। क्रम निम्नलिखित प्रकार होगाः–
   1. आर्य भट्ट पुरूष छात्रावास
   2. डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम छात्रावास
   3. डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर छात्रावास
   4. डा0 कैलाश प्रकाश छात्रावास
   5. डा0 आर0 के0 सिंह छात्रावास
   6. दुर्गा भाभी छात्रावास
   7. पंडित दीन दयाल उपाध्याय छात्रावास
   8. रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास
   9. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप छात्रावास

   जिस फर्म को एक छात्रावास की मैस आवटिंत हो जायेगी, उसे अन्य छात्रावासों की मैस की निविदा के लिये अनर्ह कर दिया जायेगा तथा अन्य छात्रावासों की निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। यही प्रक्रिया क्रम संख्या 1 से 9 तक के छात्रावासों के लिए अपनायी जायेगी।
2. ई0एम0डी0 की धनराशि रू.85,000/– (रूपये पिच्चासी हजार) ऑनलाइन RTGS/Internet banking के माध्यम से अथवा वित्त अधिकारी,.चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के पक्ष में एफ0डी0आर0 जमा करना अनिवार्य है। ई0एम0डी0 की धनराशि जमा न करने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. जी0 एस0 टी0 पंजीकरण एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. भोजनापूर्तिकर्ता फर्म को केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय, सरकारी/ अर्द्धसरकारी शिक्षण संस्थान में हास्टल मैस भोजन आपूर्ति का न्यून्तम तीन वर्षो (36 माह) का अनुभव अनिवार्य है, अनुभव प्रमाण–पत्र पर जारी करने वाले संस्थान का नाम, ई–मेल, फोन न0, जी0एस0टी0 संख्या अंकित होना अनिवार्य है। पूर्व में किये गये कार्य के साक्ष्य हेतु सभी कार्यादेशों की प्रति तथा भुगतान के साक्ष्य हेतु सभी

वर्षों का सम्बन्धित बिल भुगतान का बैंक का स्टेटमेन्ट संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही तीन वर्षों के अनुभव प्रमाण–पत्रों के साथ सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।

5. निविदादाता फर्म का विगत तीन वर्ष का औसत टर्नओवर 25 लाख होना अनिवार्य है। साक्ष्य के लिए सी0ए0 द्वारा जारी टर्नओवर का प्रमाण–पत्र एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट संलग्न करना अनिवार्य है। सी0 ए0 द्वारा जारी टर्नओवर प्रमाण–पत्र तथा सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट पर UDIN नम्बर अंकित होना अनिवार्य है।
6. फर्म को रू.100/– के स्टॉम्प पेपर पर कहीं भी ब्लैक लिस्ट न किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. भोजनापूर्ति की दरें नियत मेन्यू के अनुरूप प्रतिदिन के हिसाब से प्रस्तुत की जानी है। दर जी0एस0टी0 सहित होनी चाहिये।
8. किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय की समिति द्वारा पुरूष एवं महिला छात्रावासों में निर्धारित की गयी सामान्य आधार दरों से कम दर पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदाओं को खोलने पर एक से अधिक निविदाओं की न्यूनतम दर समान होने पर एल–1 फर्म का निर्णय जैम के नियमों के अनुसार Run L-1 के माध्यम से किया जायेगा।
10. यदि फर्म/ठेकेदार सत्र के बीच में कार्य को छोड़कर जाता है/हटाया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी धनराशि जब्त करते हुऐ अनुबन्ध निरस्त कर अन्य वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
11. किसी भी निविदादाता फर्म/ठेकेदार को एक से अधिक मैस नहीं दिया जायेगा।
12. वित्तीय बिड मे निविदादाता फर्म/ठेकेदार को एल–1 आने पर उक्त मैस स्वीकार करनी होगी। अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए बिड को निरस्त कर दिया जाएगा और निविदादाता के विरूद अन्य वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
13. **सभी निविदादाता फर्म/ठेकेदार द्वारा संलग्न किये गये सभी प्रपत्रों का सत्यापन कराया जायेगा। तथा सत्यापन के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की असत्यता/कूटरचना आदि पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म को जारी कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।**
14. मैस का संचालन केवल सम्बन्धित फर्म द्वारा ही संचालित किया जाएगा। किसी भी प्रकार की Sub-letting की अनुमति नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म का कार्यादेश निरस्त कर अन्य वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
15. विभिन्न छात्रावासों की वित्तीय बिड में निविदिदाता फर्म/ठेकेदारों की अलग–अलग न्यून्तम दर प्राप्त होने पर सर्वाधिक न्यूनतम दर (सामान्य आधार दर से कम नहीं) ही मान्य होगी तथा उसी दर पर सभी छात्रावासों में अन्य फर्म/ठेकेदार को भी कार्य करना होगा।
16. सशर्त जमा किए गए टेण्डर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनका कोई भी सगा–सम्बन्धी निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकता। किसी छात्र को भी निविदा में प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा।
18. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अपूर्ण दस्तावेज/जानकारी के मामले में, बिना कोई कारण बताए निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
19. फर्म/ठेकेदार ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
20. किसी भी दुर्घटना में मैस कर्मचारी को चोट लगने/मृत्यु होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म/ठेकेदार की होगी।
21. फर्म/ठेकेदार को अपने सभी कर्मचारियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट वार्डन को भी जमा करनी होगी, जिन्हे वह मैस सेवाएं प्रदान करने के कार्य को निष्पादित करने के लिए नियोजित करना चाहता है।

22. अनुबन्ध की समाप्ति पर फर्म विश्वविद्यालय के परिसर को तुरन्त खाली कर देगा और उपकरण आदि का प्रभार वार्डन को शान्तिपूर्वक सौंप देगा।
23. छात्रावासों में भोजन आपूर्ति हेतु भोजन **पकाने, परोसने** (Cooking & Serving) का स्थान तथा वर्तमान में उपलब्ध फर्नीचर तथा पानी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अन्य बर्तन आदि समस्त व्यवस्था भोजनापूर्तिकर्ता की होगी।
24. मैस ठेकेदार अपने स्टॉफ हेतु आवश्यक फर्नीचर की स्वयं व्यवस्था करेगा।
25. मैस का प्रबंधन भोजनापूर्तिकर्ता का स्वयं का होगा।
26. भोजनापूर्तिकर्ता के द्वारा जो स्टाफ/कुक आदि मैस के संचालन के लिए नियुक्त किये जायेंगे उनके नाम एव पते की सूची, कार्यादेश की प्राप्ति के उपरान्त एवं मैस में कार्य करने से पूर्व छात्रावास अधीक्षक के कार्यालय में जमा कराने अनिवार्य होंगे तथा समस्त स्टाफ एवं कुक यूनीफॉर्म में होंगे।
27. मैस संचालन में कार्यरत व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा/वर्जित वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे।
28. मैस में बर्तनों की संख्या (खाने हेतु थाली, कटोरी, चम्मच इत्यादि) छात्रावास में छात्रों की संख्या से 50 अतिरिक्त की व्यवस्था करनी होगी, जिससे बर्तन गन्दे होने की दशा में छात्रों को इन्तजार न करना पड़े। डिस्पोजेवल बर्तनों, ग्लास आदि का प्रयोग वर्जित है।
29. मैस की पाकशाला में खाना पकाने के लिए लकडी तथा हीटर का प्रयोग वर्जित है। यदि भोजनापूर्तिकर्ता के द्वारा खाना पकाने के लिए लकडी अथवा हीटर का प्रयोग किया जायेगा तो कार्यादेश निरस्त कर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। सभी छात्रावासों की पाकशाला में गेल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसका भुगतान नियमानुसार भोजन आपूर्तिकर्ता को गेल गैस के मीटर के हिसाब से करना होगा। घरेलू गैस सिलैण्डर का प्रयोग वर्जित होगा।
30. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्रावास में भोजन आपूर्तिकर्ता को 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। यदि इससे अधिक बिजली का उपभोग किया जाता है तो इसका अतिरिक्त चार्ज प्रचलित यूनिट दर पर भोजन आपूर्तिकर्ता प्रतिमाह विश्वविद्यालय को भुगतान करेगा।
31. सत्र आरम्भ/सत्रान्त पर यदि छात्रावास में विद्यार्थियों की संख्या कम भी है तो भी भोजनापूर्तिकर्ता को उपलब्ध विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
32. छात्रावासों में भोजनापूर्ति हेतु शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु निविदाऐं आमंत्रित की गयी है। अतः निविदा के आधार पर निर्धारित की गयी दरों पर कार्यादेश सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु मान्य होगा। खाद्य पदार्थो आदि के मूल्य में हुई वृद्वि के फलस्वरूप दरों में वृद्वि किया जाना अनुमन्य नहीं होगा। सम्बन्धित भोजन आपूर्तिकर्ता का कार्य यदि शैक्षणिक सत्र 2026–27 में सन्तोषजनक पाया जाता है तो विशेष परिस्थितियों में उस भोजन आपूर्तिकर्ता को निर्गत कार्यादेश को अधीक्षक एवं मुख्य छात्रावास अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर आगामी सत्र के लिए विस्तारित किया जा सकता है।
33. भोजन आपूर्तिकर्ता को कार्यादेश निर्गत होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी से रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पृथक से एक अनुबन्ध कराना होगा जिसमें भोजन आपूर्ति की शर्तें उल्लिखित होंगी। सुचारू संचालन की दृष्टि से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों से पृथक शर्तें अनुबन्ध में रखी जा सकती हैं। अनुबन्ध की शर्तों के पालन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित भोजनापूर्तिकर्ता का होगा।
34. भोजनापूर्तिकर्ताओं के द्वारा जो कर्मचारी विश्वविद्यालय के छात्रावासों के मैस में लगाये जायेंगे, उनकी छात्रावास की प्रविष्टि हेतु कार्य शुरू करने से पूर्व चीफ वार्डन/वार्डन स्तर पर पहचान पत्र जारी किए जायेंगे। इनके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति छात्रावास मैस में प्रवेश हेतु अनुमन्य नहीं होगा।
35. भोजन आपूर्तिकर्ता की निविदा की तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि जमा करने का साक्ष्य UTR No. अपलोड की जायेगी। जिन निविदादाताओं की निविदा पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, उनकी सिक्योरिटी की धनराशि एक माह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। यदि भोजन आपूर्तिकर्ता

निर्धारित शर्तो व आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उसकी भोजन आपूर्ति निरस्त कर दी जायेगी एवं सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि सम्पूर्ण वर्ष में भोजन आपूर्ति का कार्य सन्तोषजनक रहता है तो वर्ष के अन्त में भोजन आपूर्तिकर्ता के अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त सिक्योरिटी की धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

36. जो भोजन आपूर्तिकर्ता पूर्व में विश्वविद्यालय के छात्रावासों में भोजनापूर्ति का कार्य कर चुके हैं, उन्हें सम्बन्धित छात्रावास के वार्डन/मुख्य वार्डन/विश्वविद्यालय अभियन्ता से बिजली एवं गैस की अदेयता एवं संन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, निविदा की तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में उनकी वित्तीय बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
37. भोजन आपूर्ति हेतु प्रदत्त स्थान पर किसी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में यदि कोई क्षति होती है तो इसका वैधानिक उत्तरदायित्व भोजन आपूर्तिकर्ता का होगा।
38. छात्रावासों में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री (भोजन, नाश्ता, इत्यादि) का मेन्यू इस निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है जोकि अच्छी गुणवत्ता का होगा। मेन्यू में परिवर्तन विश्वविद्यालय के मुख्याधीक्षक छात्रावास की अनुमति से सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा किया जा सकता है। भोजन का समय–समय पर परीक्षण भी विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अथवा प्राधिकृत चिकित्सक एवं न्यूट्रिशियन द्वारा कराया जाएगा। गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती है तो विश्वविद्यालय कोई भी पैनल दण्ड भोजन आपूर्तिकर्ता पर लगा सकता है।
39. छात्रावास में भोजन आपूर्तिकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित स्थान एवं आवश्यकतानुसार फर्नीचर जितना सम्बन्धित छात्रावास के मैस में उपलब्ध होगा का ही भोजनापूर्तिकर्ता उपयोग कर सकेगा। यदि ठेकेदार कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित करता पाया जाता है तो भोजन आपूर्ति निरस्त कर दी जायेगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड वसूला जा सकेगा।
40. प्रत्येक छात्रावास के वार्डन प्रशासनिक दृष्टि से छात्रावास मैस में भोजनापूर्ति हेतु आचार संहिता बनाएगें। इसमें निर्धारित की गयी शर्तो का पालन भोजनापूर्ति द्वारा किया जाएगा।
41. आपूर्तिकर्ता को मैस में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के सरकारी पहचान पत्र की फोटोकापी/आधार कार्ड/वोटर कार्ड आई डी आदि मैस आरभ से पूर्व छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
42. मैस में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी की इस आशय की जिला अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट कि उसे कोई बीमारी, एलर्जी या अन्य कोई त्वचा सम्बन्धी समस्या नहीं है, मैस आरम्भ होने के बाद प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
43. मैस में मैस प्रबंधक एवं रसोइये के साथ–साथ अन्य स्टाफ की व्यवस्था निम्नानुसार मैस ठेकेदार को करनी होगी :–
    - प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक कर्मचारी भोजन आपूर्ति सहायक के रूप में तथा न्यूनतम दो।
    - प्रत्येक मैस में एक कर्मचारी सफाई व्यवस्था हेतु।
    - एक प्रबंधक एवं एक रसोइया तथा एक बर्तन धोने के लिए कर्मचारी।
    - कोई भी मैस कर्मचारी 18 वर्ष से कम आयु का न हों।
    - महिला छात्रावास मैस हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला कर्मचारी अवश्य लगाए जाएगें।

44. सभी प्रकार के उत्तर प्रदेश/केन्द्र सरकार या स्थानीय करों की देयता का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।
45. मैस छात्रों से प्राप्त धनराशि से ही चलायी जानी है। अतः भोजन प्रदान करने से पूर्व मैस ठेकेदार व वार्डन यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र/छात्रा द्वारा भोजन की फीस अग्रिम के रूप में जमा कर दी गयी है। भोजनापूर्ति के सापेक्ष जो बिल भोजन आपूर्तिकर्ता द्वारा वित्त विभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, उस पर सम्बन्धित छात्रावास के वार्डन से इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित

कराया जायेगा कि संलग्न सूची में दर्शाया गये समस्त छात्रों से मैस शुल्क की वसूली की जा चुकी है एवं किसी भी छात्र को बिना शुल्क जमा किये भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही साथ यह प्रमाण पत्र भी सम्बन्धित वार्डन द्वारा लगाया जाना अनिवार्य है कि सम्बन्धित देयक प्रथम बार प्रस्तुत किया है। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में देयक का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

46. सभी छात्र/छात्राएं केवल मैस में निर्धारित स्थान पर ही भोजन करेगें। यदि छात्र/छात्राओं द्वारा वार्डन की विशेष अनुमति के बिना मैस के बाहर/अपने कमरे में भोजन ले जाया पाता है तो इसका उत्तरदायित्व मैस ठेकेदार का होगा। अतः मैस ठेकेदार मैस संचालन के उचित प्रबन्धक की व्यवस्था करेगा। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय अर्थदण्ड/ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।
47. आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से समय-समय पर प्रचलित दरों के अनुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
48. विश्वविद्यालय को किसी भी खाद्य सामग्री को मैस में प्रतिबधिंत करने का अधिकार होगा।
49. भोजनापूर्ति कार्य हेतु आवश्यक बर्तन (डिस्पोजेवल बर्तन निषिद्व) बारदाना इत्यादि का प्रबन्ध सम्बन्धित ठेकेदार को करना होगा।
50. भोजन आपूर्तिकर्ता किसी भी कारण नगद धनराशि प्राप्त कर, किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं देगा। ऐसा करने पर आर्थिक दण्ड के अलावा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
51. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी में निहित होगा।
52. शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत सुरक्षा सम्बन्धी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
53. बीमारियों से बचाव के दृष्टिकोण से मैस ठेकेदार को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा अपने कर्मचारियों को ग्लब्स, मास्क, हेयर कैप सेनेटाईजर आदि उपलब्ध कराना होगा।
54. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष होगी। कार्य सन्तोषजनक होने वार्डन एवं चीफ वार्डन की अनुशंसा पर दोनों पक्षों की सहमति से अवधि एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।
55. विश्वविद्यालय एवं भोजन आपूर्तिकर्ता के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा एवं आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा।
56. ई0एम0डी0 की धराशि ऑनलाइन RTGS/Internet banking के माध्यम से जमा करने हेतु विवरणः-

Beneficiary name: FINANCE OFFICER
Bank name: INDIAN BANK
Account No.: 50488321629
IFSC Code: IDIB000M690
Branch address: CHAUDHARY CHARAN CHARAN SINGH UNIVERSITY
BRANCH, MEERUT